कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-06.09.2024

विषयः- अधिक कर्ज के दबाव में छिनैती की झूठी सूचना देने एवं जांच के क्रम में वादी के पास से लूट की रकम रू0 45000/- व नाजायज कारतूस .380 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा वादी को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 0295/2024 धारा 304(2) बीएनएस थाना चोलापुर में वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी कि वादी मुकदमा श्री महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 देवराज यादव निवासी ग्राम चमरूपुर थाना सिन्धोरा जनपद वाराणसी से पूछताछ के दौरान पता चला कि वादी के अत्यधिक कर्ज में होने के वजह से 45000/- रू0 छिनैती का झूठा मुकदमा थाना चोलापुर में पंजीकृत कराया गया है तथा सारा रूपया अपनी आलमारी में होने की बात बताकर पैसा आलमारी में दिखाते समय 01 अदद नाजायज जिन्दा कारतूस .380 बोर का बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में कोई कागजात थाना चोलापुर पुलिस को न दिखा पाने की दशा में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा आज दिनांक-06.09.2024 को समय करीब 11.00 बजे अभियुक्त महेन्द्र यादव उपरोक्त को उनके घर ग्राम चमरूपुर से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से झूठी छिनैती की सूचना देने से सम्बन्धित 45000/- रू0 नकद व एक अदद जिन्दा कारतूस .380 बोर बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना चोलापुर में मु0अ0स0 305/2024 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने कर्ज में होने के कारण 45,000/- रुपए के छिनैती की झूठी सूचना पुलिस को दिया था, मेरा पैसा कहीं नही गया बल्कि मेरे घर पर सुरक्षित रखा है जिसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। वादी की निशानदेही पर वादी मुकदमा के घर के भीतर वादी द्वारा अलमारी खोलकर उसमें से एक नीले रंग का कागज का डिब्बा निकाला जिसमें से एक अदद 500रु के नोट की गड्डी निकाला तथा बताया कि यही वह 45000/- रुपया है जिसके संबंध में मेरे द्वारा छिनैती का थाना चोलापुर पर मुदकमा लिखवाया गया है। उसी नीले रंग के कागज के डिब्बे से एक अदद कारतूस जिन्दा निकाल कर दिखाया जिसके पेदे पर 0.380 बोर KF 062 अंकित है। कारतूस रखने के संबंध मे कागजात माँगा गया तो कागज दिखाने से इन्कार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

महेन्द्र यादव पुत्र स्व0 देवराज यादव निवासी ग्राम चमरूपुर थाना सिन्धोरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 48 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान- दिनांक-06.09.2024 समय करीब 11.00 बजे ग्राम चमरूपुर थाना सिन्धौरा कमिश्नरेट वाराणसी से।

बरामदगी का विवरण-

1. मु0अ0सं0 0295/2024 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित 45000/- रुपया।
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 0.380 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 रामप्रकाश वर्मा थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0प्रशि0 प्रद्युम्न राय थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 जगतपाल थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 रामजी यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।